

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कक्षीरधाग

// भर्ती हेतु विज्ञापन //

क्रमांक / 428 / आजाक / रथापना / 2023-24

कक्षीरधाग, दिनांक 12/05/2023

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्ड्रावती भवन नगा रायपुर आटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / सा.रथा.3 / भर्ती-24 / 2023 / 1096 दिनांक 08.05.2023 द्वारा विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय निम्नांकित पदों की पूर्ति रीढ़ी भर्ती के माध्यम से किए जाने की दी गयी रवीकृति अनुसार रांगन तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने याले कक्षीरधाग जिला के रथानीय निवासी/यूल निवासी उमीदवारों से दिनांक 29 अप्रैल 2023 को सायं 5.30 तक रजिस्टर्ड लाक, रापील पोरट अथवा रथयं के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :—

(A) सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 5200—20200+1900 (छठवां वेतनमान)

छ.ग.वे.पु.नि. 2017 के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल - 4 (19500—62000)

क्र.	विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव	अनारक्षित	योग
1	कुल रिक्तयों की संख्या	-	1	-	2	3
2	महिला	-	-	-	-	-
3	विकलांग	-	-	-	-	-
4	भूतपूर्व सेनिक	-	-	-	-	-
5	मुक्त	-	1	-	2	3
	योग (2+3+4+5)	-	1	-	2	3

(B) वाहन चालक वेतनमान 5200—20200+1900 (छठवां वेतनमान)

छ.ग.वे.पु.नि. 2017 के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल - 4 (19500—62000)

क्र.	विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव	अनारक्षित	योग
1	कुल रिक्तयों की संख्या	-	-	-	1	1
2	महिला	-	-	-	-	-
3	विकलांग	-	-	-	-	-
4	भूतपूर्व सेनिक	-	-	-	-	-
5	मुक्त	-	-	-	1	1
	योग (2+3+4+5)	-	-	-	1	1


(C) भृत्य वेतनमान 4750—7440+1300 (छठवां वेतनमान)

छ.ग.वे.पु.नि. 2017 के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल - 1 (15600—49400)

क्र.	विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव	अनारक्षित	योग
1	कुल रिक्तयों की संख्या	2	3	2	5	12
2	महिला	1	1	-	1	3
3	विकलांग	-	-	-	-	-
4	भूतपूर्व सेनिक	-	-	-	-	-
5	मुक्त	1	2	2	4	9
	योग (2+3+4+5)	2	3	2	5	12

2 :- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञप्ति पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अन्य अहंताएं, आयु, चयन प्रक्रिया, आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व कक्षीरधाग जिले की वेबसाइट www.kawardha.gov.in में देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त
भूदिवासी विकास, कक्षीरधाग

//2//

पृ.क्रमांक / 429 / आजाक / स्थापना / 2023-24

प्रतिलिपि :-

कबीरधाम, दिनांक 12/05/2023

- 1- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्ड्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) कबीरधाम की ओर सूचनार्थ। उक्त विज्ञाप्ति जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 3- सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग कबीरधाम की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

Monic
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, कबीरधाम



कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

// विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी //

(1) शैक्षणिक अहंताएँ :-

(A) सहायक ग्रेड-3 :-

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण,

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण प्रमाण पत्र, तथा

कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(B) वाहन चालक :-

1- छ.ग.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण,

2- वैध लाईट मोटर व्हीकल लायसेंस (स्थायी)

(C) भूत्य :-

1- मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण,

जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली पांचवीं में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर के पत्र क्रमांक सी.सी.ई./एस.एस.ए./2509 दि. 17.07.2014 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार की जावेगी:-

क्रमांक	ग्रेड	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	A	81 से 100
2	B	66 से 80
3	C	51 से 65
4	D	36 से 50
5	E	36 से नीचे

(2) निर्धारित आयु सीमा :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2015/1-3 दिनांक 23.01.2017 के अनुसार कबीरधाम जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी।

- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5(पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।
- संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक रहेगी।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सर्वांग पति/पत्नी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- 5- राज्य (छत्तीरागढ़ राज्य) में प्रचलित “शान्ति शान्ति या पाणे पुराकार, गुणवत्ता वाला, पहाड़ा प्रधीरकन्द भजदेव रामान प्राप्त विज्ञानियों तथा शान्ति या पुराकार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु रीमा में 5 वर्ष की छूट की जाएगी।
 - 6- छत्तीरागढ़ रिहिल रोवा (पहिलाओं की नियुक्ति के लिए नियोग उपकरण) दिनांक 1997 के प्राक्कानों के अनुसार गहिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु रीमा अधिकतम 10(दर्य) वर्ष तक विधिवत्तीय होगी।
 - 7- भूतपूर्व रौनिक ऐतु नियमानुसार आयु रीमा में छूट होगी।
- महत्वपूर्ण टीप :-** उपरोक्त उल्लेखित विवरी एक या एक से अधिक वर्तमान के अधीन आयु में छूट दिए जाने के उपरान्त शासकीय रोवा ऐतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु विवरी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयुक्त की गणना 01.01.2023 के संकार्ता में की जाएगी।

(3) आवेदन करने ऐतु सामान्य निर्देश :-

- 1- पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो राकर्ती है अथवा भर्ती प्रक्रिया नियस्ता भी की जा सकती है, इस ऐतु किसी भी प्रकार का दावा गान्य नहीं होगा। विज्ञापन दिनांक से आगामी 1 वर्ष तक किन्तु भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त आवेदकों से नियमानुसार भर्ती जा सकेगी।
- 2- प्रत्येक पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता रपट रूप से अवश्य लिखें।
- 3- आवेदक को जिले का मूल निवारी होना अनिवार्य है तथा राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी निवारा प्रमाण पत्र एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के राथ रांगन करें।
- 4- आवेदक का रोजगार कार्यालय में यथारिति जीवित पंजीयन होना चाहिए जिराकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 5- आयु रीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की रात्यापित प्रति आवेदन के राथ रांगन करना अनिवार्य है।
- 6- भूतपूर्व रौनिक उमीदवार को आवेदन के साथ रोना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक (Discharge Book) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति रांगन करना अनिवार्य होगा।
- 7- आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित हाल ही के पारापोर्ट राईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें।
- 8- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, रागत्र प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य दरतावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29 मई 2023 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कवीरधाम (छ.ग.) पिन 491995 के पते पर रजिस्टर्ड टाक, रपीड पोरट अथवा स्वयं के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। जो आवेदन विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं पाये जाने पर उस पर विचार नहीं किय जाएगा।
- 10- अपूर्ण, अरपट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 11- विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 12- आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शाराकीय रोवा में नियुक्ति ऐतु शारान द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का रामपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 13- ऐसे अभ्यर्थी जो शाराकीय अथवा अद्वैशाराकीय रांगथा में रोवारत हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रांगन करना अनिवार्य है।
- 14- चयनित उमीदवार को छ.ग.शारान वित्त विभाग गंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, 29.07.2020 एवं रामान्य प्रशारान विभाग गंत्रालय, महानदी भवन रायपुर अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उमीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा

अवधि पर की जावेगी। उक्त परियोक्षा अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%, 90%, राशि स्टाईपेन्ड के रूप में देय होगा तथा अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे।

- 15— समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/नियमों के अनुसार वर्टिकल व होरीजोण्टल आधार पर पदों का आरक्षण रहेगा।
- 16— यह नियुक्तियों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम 1961 से शासित होगी।
- 17— विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार “कलेक्टर जिला कबीरधाम” का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
- 18— आवेदनकर्ता विज्ञापन का विस्तृत विवरण कार्यालय के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.kawardha.gov.in में देख सकते हैं।
- 19— विज्ञप्ति पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी तथा उसे कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.kawardha.gov.in में भी अपलोड की जावेगी। यदि किसी कारणों से व्यक्तिगत सूचना की प्राप्ति में विलम्ब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जावेगा।
- 20— इस विज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(4) नियुक्ति के लिए अपात्रता :-

- 1— कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 2— पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हों।
- 3— जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो। (शासन द्वारा मान्य अपवाद को छोड़कर)
- 4— जो किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता हो।

- #### (5) चयन की प्रक्रिया :-
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। प्रत्येक पदों के लिए प्रायोगित/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गावार 10 गुना पत्र उम्मीदवारों को प्रायोगित (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

(A) सहायक ग्रेड-3:-

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2)	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
B	कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) प्रतिघंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा	20 अंक
C	अनुभव	10 अंक
	कुल निर्धारित अंक	100 अंक

अनुभव प्रमाण पत्र :- अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय संस्थान (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। (अभ्यर्थी के अनुभव की गणना- एक वर्ष के अनुभव पर 01 अंक प्रदान किया जावेगा।)

उपरोक्तानुसार सहायक ग्रेड-3 के लिए कुल निर्धारित 100 अंक मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति संबंधी प्रायोगित/कौशल परीक्षा में निर्धारित 20 अंकों में 50% अंक अर्थात् कम से कम 10 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के लिए विचार योग्य होंगे। 50% अंक प्राप्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक 33% तक के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जा सकेगा, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

(B) वाहन चालक:-

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70% के बराबर अंक)
B	वाहन चालक के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु (चयन समिति द्वारा वाहन चलवाकर परीक्षा ली जावेगी)	20 अंक
C	अनुभव (प्रति एक वर्ष हेतु 01 अंक अधिकतम 10 वर्ष) कुल निर्धारित अंक	10 अंक 100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। वाहन चालन के कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों में 50% अंक अर्थात् कम से कम 10 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

(C) चतुर्थ श्रेणी भूत्यः-

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। चतुर्थ श्रेणी भूत्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा पांचवीं परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट आधार पर किया जावेगा।

सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भूत्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट सूची के तैयार करने में किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर उस अभ्यर्थी को वरियता दी जावेगी जिसका जन्म पहले हुआ हो।

Mamta
सहायक आयुक्त
आविद्यासी विकास कबीरधाम

सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भूत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, कर्बीखाम

Passport size
photo

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम (हिन्दी)
(अंग्रेजी के कोपिटल लेटर में) :
3. पिता/पति का नाम :
4. (अ) जन्मतिथि अंको में
(ब) शब्दों में
(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु : वर्ष.....माह.....दिन.....
5. लिंग (पुरुष/महिला) :
6. शैक्षणिक योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत / ग्रेड
1						
2						
3						
4						
5						

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :
8. स्थायी पता :
9. दूरभाष/मोबाइल नंबर :
10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :
11. क्या आप शासन द्वारा मान्यता अजा/अजजा/अपिव के सदस्य हैं? यदि हां तो उल्लेख करें। (सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(2)

12. क्या आवेदक जिला कबीरधाम (छ.ग.) का मूल निवासी है? :
(यदि हा तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास :
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
13. सक्षम/वैध हल्के मोटर वाहन चालन अनुज्ञाप्ति का विवरण :
14. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए :
(अ) सेना का नाम जिसमें कार्य किया गया है :
(ब) कार्य की अवधि दिनांक..... से तक कुल अवधि.....
15. क्या आवेदक विवाहित है? हॉ / नहीं :
16. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :
17. यदि आप शासकीय/अद्वशासकीय संस्था में कार्यरत हो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
18. संलग्न प्रमाण पत्र की सूची :- 1—..... 2—..... 3—.....
4—..... 5—..... 6—..... 7—.....

दिनांक :—
स्थान :—

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और असत्य/भ्रामक पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :—
स्थान :—

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम

फोन / फैक्स नंबर

क्र.....

दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

आत्मज श्री जिला राज्य ..

..... ने विद्यालय में पद पर

..... विषय का दिनांक से कुल

...वर्ष माह कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

कार्यालय / संस्था प्रमुख का पद मुद्रा
हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

नाम

पद

सील